भाग III

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

आदेश

दिनांक 20 जनवरी, 2011

संख्या का०आ० 7/पं०अ० 16/1952/धा० 10/2011.—चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि विद्यार्थियों के बस पास के लिए प्रभारित किराये पर यात्री कर को, लोकहित में, पंजाब यात्री तथा माल कराधान अधिनियम, 1952 (1952 का पंजाब अधिनियम 16), की धारा 3 के उपबन्धों के प्रवर्तन से तुरन्त प्रभाव से छूट दे देनी चाहिए;

इसलिए, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबन्धों के प्रवर्तन से, विद्यार्थियों के बस पास के लिए प्रभारित किराये पर यात्री कर की तुरन्त प्रभाव से छूट देते हैं।

रमेन्द्र जाखू,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।